तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.1.19	उभयपक्ष उप.। प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :–211/2017

निर्णय दिनांकः–24.01.2019

उनवान

1. राधाकिशन पुत्र मदनलाल जाति गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील निवाई
2. गिरिराज पुत्र मदनलाल जाति गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील निवाई
3. मदनलाल पुत्र हरचन्दा जाति गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील निवाई

–आवेदकगण

बनाम

तहसीलदार सा. निवाई

–अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट
बाबत दुरूस्त करवाने बाबत्।

उपस्थितः– श्री सीताराम शर्मा वकील आवेदकगण

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 29/2 रकबा 01–10 बीघा वाके ग्राम किशोरपुरा तहसील निवाई में दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व शीट में प्रार्थी की तरमीम खातेदारी अनुसार दुरूस्त नहीं है। मुताबिक खातेदारी तरमीम दुरूस्त किये जाने से सरकारी पक्ष को किसी प्रकार का नुकसान कारित नहीं होगा लिहाजा मुताबिक खातेदारी राजस्व शीट में तरमीम दुरूस्त किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र उक्तानुसार स्वीकार किया जाकर मुताबिक खातेदारी राजस्व शीट में तरमीम दुरूस्त किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है।

उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई(टोंक)

Scanned by CamScanner

प्रतिपक्षी तहसीलदार निवाई की ओर से जवाब पेश किया गया कि उक्त ख.नं. 29/2 की वर्तमान नक्शा शीट में तरमीम सीमाज्ञान संभव नहीं है। तरमीम हेतु पत्रावली के साथ सुपुर्दगीनामा ट्रेस संलग्न नहीं है।

प्रार्थी के वकील की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत आवेदन का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 29/2 रकबा 01–10 बीघा वाके ग्राम किशोरपुरा तहसील निवाई में दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व शीट में प्रार्थी की तरमीम खातेदारी अनुसार दुरूस्त नहीं है। मुताबिक खातेदारी तरमीम दुरूस्त किये जाने से सरकारी पक्ष को किसी प्रकार का नुकसान कारित नहीं होगा लिहाजा मुताबिक खातेदारी राजस्व शीट में तरमीम दुरूस्त किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र उक्तानुसार स्वीकार किया जाकर मुताबिक खातेदारी राजस्व शीट में तरमीम दुरूस्त किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है।

बहस का मनन व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन मनन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 29/2 रकबा 01–10 बीघा वाके ग्राम किशोरपुरा व ख.नं. 29/1 किस्म गै.मु. रास्ता का मौके पर सीमाज्ञान कर तरमीम करें।

यह निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25/1/19

हरिताभ कुमार आदित्य
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
निवाई

उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner